



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-02112024-258425
CG-DL-E-02112024-258425

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 889]
No. 889]

नई दिल्ली, शुक्रवार, नवंबर 01, 2024/कार्तिक 10, 1946
NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 01, 2024/KARTIKA 10, 1946

भारतीय प्रेस परिषद

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 अक्टूबर, 2024

सं.19/01/2023-पी.सी.आई.-(भाग-3).—भारतीय प्रेस परिषद, प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 (1978 का 37) की धारा 5 की उपधारा (4) के साथ पठनीय प्रेस परिषद (व्यक्तियों के संगमों की अधिसूचना हेतु प्रक्रिया) नियम, 2021 के अनुसरण में उक्त धारा की उपधारा (3) के खंड (क) और खंड (ख) में निर्दिष्ट प्रवर्गों के निम्नलिखित व्यक्ति संगमों और खंड (ग) के प्रयोजन के लिए समाचार अभिकरणों को परिषद की 15वीं तीन वर्षीय सेवावधि के प्रयोजनों के लिए एतद्वारा अधिसूचित करती हैं, अर्थात:

(I) धारा 5 की उप-धारा (3) के खंड (क) में निर्दिष्ट प्रवर्ग के व्यक्तियों के संगम:

- (1) अखिल भारतीय समाचार पत्र एसोसिएशन
- (2) हिन्दी समाचार पत्र सम्मेलन
- (3) ऑल इंडिया न्यूज़पेपर एडिटर्स कान्फ्रेंस

श्रमजीवी पत्रकार जो संपादक हैं, के प्रतिनिधि निकायों के रूप में

- (4) इंडियन एसोसिएशन ऑफ प्रेस-
एन -मीडियामैन
- (5) ओडीशा जर्नलिस्ट्स यूनियन
- (6) तेलंगाना स्टेट यूनियन ऑफ
वर्किंग जर्नलिस्ट्स
- (7) प्रेस एसोसिएशन
- (8) आंध्र प्रदेश यूनियन ऑफ वर्किंग
जर्नलिस्ट्स
- (9) प्रेस क्लब कोलकाता
- (10) उड़ीसा यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स

संपादकों से भिन्न श्रमजीवी पत्रकारों के प्रतिनिधि निकायों के रूप में

- (11) वैस्ट बंगाल यूनियन ऑफ
जर्नलिस्ट्स
- (12) प्रेस क्लब ऑफ इंडिया
- (13) चंडीगढ़-पंजाब यूनियन
ऑफ जर्नलिस्ट्स
- (14) जर्नलिस्ट्स यूनियन ऑफ असम
- (15) ऑल मणिपुर वर्किंग जर्नलिस्ट्स यूनियन
(ए एम डब्लू जे यू)

संपादकों से भिन्न श्रमजीवी पत्रकारों के प्रतिनिधि निकायों के रूप में

(II) धारा 5 की उप-धारा(3)के खंड (ख) मे निर्दिष्ट ऐसे व्यक्तियों के संगम जो समाचार पत्रों के स्वामी हैं या समाचारपत्रों के प्रबंध का कारोबार करते हैं:

- (1) स्मॉल- मीडियम - बिग
न्यूज़ पेपर्स सोसाइटी
- (2) दी इंडियन न्यूज़पेपर सोसायटी
- (3) एसोसिएशन आफ स्मॉल एंड
मीडियम न्यूज़पेपर्स ऑफ इंडिया
- (4) ऑल इंडिया स्मॉल न्यूज़पेपर्स एसोसिएशन
- (5) ऑल इंडिया स्मॉल एंड मीडियम
न्यूज़पेपर्स फेडरेशन

(III) धारा 5 की उपधारा (3) के खंड (ग) में निर्दिष्ट व्यक्तियों के प्रवर्ग में से एक व्यक्ति को नामनिर्दिष्ट करने के प्रयोजन के लिए समाचार अभिकरण:

कोई दावा प्राप्त नहीं हुआ

डॉ. धीरज काकड़िया सचिव
[विज्ञापन-III/4/असा./659/2024-25]

PRESS COUNCIL OF INDIA

NOTIFICATION

NEW DELHI, the 28th October, 2024

No. 19/01/2023-PCI-(Part-3).—In pursuance of sub-section (4) of Section 5 of the Press Council Act, 1978 (37 of 1978) read with Press Council (Procedure for Notification of Associations of Persons) Rules, 2021, the Press Council of India hereby notifies, for the purposes of the XVth three-year term of Council, the following associations of persons of the categories referred to in clause (a) and clause (b) and news agencies for the purpose of clause(c) of sub-section (3) of that Section, namely:

(I) Associations of persons of category referred to in clause (a) of sub-section (3) of Section 5:

- | | | |
|--|---|--|
| (1) Akhil Bharatiya Samachar Patra Association | } | As representative bodies of Working Journalists who are Editors |
| (2) Hindi Samachar Patra Sammelan | | |
| (3) All India Newspaper Editors Conference | | |
| (4) Indian Association of Press-N-Mediamen | } | As representative bodies of Working Journalists other than Editors |
| (5) Odisha Journalists Union | | |
| (6) Telangana State Union of Working Journalists | | |
| (7) Press Association | | |
| (8) Andhra Pradesh Union of Working Journalists | | |
| (9) Press Club Kolkata | | |
| (10) Orissa Union of Journalists | | |

- (11) West Bengal Union of Journalists
- (12) Press Club of India
- (13) Chandigarh-Punjab Union of Journalists
- (14) Journalists Union of Assam
- (15) All Manipur Working Journalists' Union (AMWJU)

As representative bodies of Working Journalists other than Editors

(ii) Associations of persons who own or carry on the business of management of newspapers referred to in clause (b) of sub-section (3) of Section 5:

- (1) Small-Medium-Big Newspapers Society
- (2) The Indian Newspaper Society
- (3) Association of Small & Medium Newspapers of India
- (4) All India Small Newspapers Association
- (5) All India Small and Medium Newspapers Federation

(iii) News Agencies for the purpose of nominating a person from the category of persons referred to in clause (c) of sub-section (3) of Section 5:

No Entry received

Dr. DHIRAJ KAKADIA, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./659/2024-25]